22/12/24 पत्रावली आज दिनांक को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प तालेड़ा
में पेश हुई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया
गया। पत्रावली के संलग्न रेकार्ड नकल जमाबन्दी
सम्वत 2076 के खाता संख्या नया 44 पुराना 64 ख० न०
57 रकबा 1.0603 है० वाले ग्राम खेरोली प० स०
बल्लोप के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी
में रणधीर सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह जाति गुर्जर ही
अंकित है किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं
तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से
पर स्पष्ट है कि खातेदार रणधीर सिंह की जाति
सिख है। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित है कि सेग्रीगेशन
से पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में ख०
न० 57 ग्राम खेरोली की भूमि रणधीर सिंह आ०
गुरुचरण सिंह कौम सिख के खातेदारी में दर्ज
थी। जो प्रार्थी की जाति संवत में सेग्रीगेशन के
पश्चात गलत हो गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट
तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार
किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना
पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को
आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जमाबन्दी
सम्वत 2076 के खाता संख्या नया 44 पुराना 64
ख०न० 57 रकबा 1.0603 है० वाले ग्राम खेरोली
प० स० बल्लोप में प्रार्थी रणधीर सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह
की जाति गुर्जर के स्थान पर सिख संशोधित किया
जावे शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। पत्रावली फैसल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

शुमार होकर नम्बर में कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक २०।०१।१५ को राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम तालेडा में सरेइजलास सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या..........01..........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या.......01.......
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, तालेडा (बून्दी)